

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता मो0 हकीम खान पुत्र शब्बीर अहमद निवासी कुसुरुकला थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री शम्भूराम, हे0का0 राधेश्याम वर्मा।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महली पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3307 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3307 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत लोहरौली से इवेन्ट संख्या 31688 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों (01-गोपाल पाठक पुत्र रामभभूत, 02- शकुन्तला पाठक पत्नी रामभभूत पाठक निवासी सोनौरा थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 सत्यनरायण सिंह, हो0चा0 चन्द्रभान चौहान।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 78 वाहनों से 82,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 78 वाहनों से 82,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 16.04.2024*

***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये
06 सीसीटीवी कैमरें***

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 16.04.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 06 सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया है। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 01 अदद एलईडी टीवी व 01 अदद यूपीएस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

***दिनांक 05.02.2024 को वादी श्री हरिप्रकाश पुत्र श्री रामआसरे निवासी वार्ड 17 कसैला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि श्रीमती कालिन्दी राम आसरे बा०ल०मा०वि० कसैला से अज्ञात व्यक्ति द्वारा टी०वी०, सी०पी०यू० व लैपटाप आदि चोरी कर लिया गया है । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 89/2024 धारा 379 भादवि० के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था* ।**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण के निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 अदद चोरी की एलईडी टीवी (केबल सहित) व 01 अदद सीपीयू (केबल सहित) के साथ 01 अभियुक्त नाम पता विशाल चौहान पुत्र महेश चौहान निवासी बरदहिया बाजार थाना को० खलीलाबाद हा०मु० औद्योगिक नगर वार्ड मोहल्ला बजरंग नगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को सरैया गौरापार मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विशाल चौहान पुत्र महेश चौहान निवासी बरदहिया बाजार थाना को० खलीलाबाद हा०मु० औद्योगिक नगर वार्ड मोहल्ला बजरंग नगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर ।

बरामदगी-

1- 01 अदद चोरी की एलईडी टीवी 32 इंच (केबल सहित) ।

2- 01 अदद चोरी की सीपीयू (केबल सहित) ।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 89/2024 धारा 379/411 भादवि० थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ०नि० श्री सुरेश यादव, हे०का० राजेश कुमार तिवारी, का० अर्जुन पाल ।

चपरा पूर्वी, खाले पुरवा, गुलरिया, छपरा मगरवी, मादरहा, नारायन पूर धनघटा

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 16-04-2024*

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर द्वारा संयुक्त रूप से थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का किया गया निरीक्षण, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।

आज दिनांक 16.04.2024 को जिलाधिकारी जनपद संतकबीरनगर ***श्री महेन्द्र तंवर*** व पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा संयुक्त रूप से अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** की मौजूदगी में थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत अग्नि प्रभावित चपरा पूर्वी, खाले पुरवा, गुलरिया, छपरा मगर्वी, मदरहा, नरायनपुर का निरीक्षण किया गया। महोदय की उपस्थिति में जनपद सन्तकबीरनगर, जनपद गोरखपुर व जनपद बस्ती की 05 दमकल की गाड़ियों व स्थानीय संसाधनों की मदद से आग पर काबू पाया गया तथा संबंधित को अन्य कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री अनिल कुमार, पीआरओ पुलिस अधीक्षक उ0नि0 श्री जितेन्द्र यादव सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।